



2026:AHC: 2899

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 19626 वर्ष 2025

अरविंद कुमार

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	दीपक कुमार त्रिपाठी, निखिलेश कुमार चौधरी
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री निखिलेश कुमार चौधरी और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान कार्यवाही की विचारणीयता के संबंध में एक प्रारंभिक आपति इस आधार पर उठाई गई है कि बर्खास्तगी आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के प्रावधानों के तहत अपील का विकल्प उपलब्ध है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अपील दायर करेगा, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा विलंब क्षमा करने का निर्देश जारी किया जाए।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के लिए अपील दायर करते समय विलंब क्षमा की मांग करना सदैव खुला विकल्प है।
5. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोषों में गहराई से जाए बिना, यह रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है। याचिकाकर्ता के लिए यह विकल्प खुला है कि वह आज से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर अपील दायर करे और संबंधित प्रतिवादी के समक्ष विलंब क्षमा के लिए आधार प्रस्तुत करे। प्रतिवादी कानून के अनुसार कड़ाई से विचार करेंगे और उचित आदेश पारित कर निर्णय लेंगे।

7 जनवरी, 2026

ए. प्रजापति

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।